न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम, चित्रकूट,

फौजदारी प्रकीर्ण वाद**–83 / 2026**
उ0प्र0 राज्य बनाम अखिलेश कुमार चतुर्वेदी।
सत्र परीक्षण संख्या–131 / 2016,
धारा 304 भा0दं0सं0
सत्र परीक्षण संख्या–132 / 2016,
धारा 30 / 27(3) आयुध अधिनियम
मुकदमा अपराध सं0–190 / 2016
थाना– राजापुर, जनपद चित्रकूट।

दिनांक–15.07.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अखिलेश कुमार चतुर्वेदी के द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त सत्र प्रकरणों 132 / 2016 में प्रार्थी को दो नाली डी0बी0वी0एल गन नम्बर 143920ए / 09 लाइसेंस नम्बर 101 / 15, थाना राजापुर, जनपद चित्रकूट में वगैर किसी उचित देख रेख के निरूद्ध है जिसे खल्त मल्त होने की संभावना है, जिस कारण उक्त बन्दूक प्रार्थी के पक्ष में मुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। चूंकि उक्त मुकदमा माननीय न्यायालय द्वारा गुण दोष के आधार पर दिनांक 26.02.2026 को निर्णित किया जा चुका है। चूंकि प्रार्थी की शस्त्र लाइसेंस कापी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट में निरूद्ध है को तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थी की शस्त्र लाइसेंस कापी को थाना राजापुर जनपद चित्रकूट में जमा है को आहुत कर दो नाली डी0बी0वीएल0 गन नम्बर 143920ए / 09 लाइसेंस नम्बर 101 / 2015 प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त किये जाने की कृपा की जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अखिलेश कुमार चतुर्वेदी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–190 / 2016, सत्र प्रकरण संख्या–132 / 2016, धारा 30 / 27(3) आयुध अधिनियम, थाना राजापुर चित्रकूट में अखिलेश कुमार चतुर्वेदी को निर्णय दिनांक 26.02.2026के द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में आवेदक की दो नाली डी0बी0बी0एल0 गन एवं उसकी अनुज्ञप्ति पत्र दौरान विवेचना जब्त कर थाना राजापुर, जनपद चित्रकूट में जमा किया गया है, जिसे आवेदक के पक्ष में निर्मुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है, लेकिन दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील प्रस्तावित है। अतः ऐसी स्थिति में डी0बी0बी0एल0 गन और लाइसेंस निर्मुक्त किये जाने का घोर विरोध किया गया है।

Digitally signed by Rahul Mishra
Date: 2026.07.15 03:40:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि यह फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–83/2026, अखिलेश कुमार चतुर्वेदी पुत्र अवधेश कुमार निवासी अंधावा, थाना महेवा घाट, जनपद चित्रकूट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 498 बी0एन0एस0एस0 के आधार पर दर्ज किया गया है। सत्र परीक्षण संख्या–132/2016, अपराध संख्या–190/2016, धारा 30/27(3) आयुध अधिनियम, थाना राजापुर में जब्त की गयी दो नाली डी0बी0वीएल0 गन नम्बर 143920ए/09 लाइसेंस नम्बर 101/2015 को थाना राजापुर, जनपद चित्रकूट में निरूद्ध बताया गया है और इसे अपने पक्ष में मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है। सत्र परीक्षण संख्या–131/2016 की पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा इसी सत्र परीक्षण संख्या से संबंधित एक अन्य सत्र परीक्षण संख्या–132/2016 की भी पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। सत्र परीक्षण संख्या–131/2016 व सत्र परीक्षण संख्या–132/2016 का निस्तारण एक ही निर्णय दिनांकित 26.02.2026 के द्वारा किया गया है और अभियुक्त अखिलेश कुमार चतुर्वेदी को संदेह का लाभ देते हुये दोनों पत्रावलियों में दोषमुक्त किया गया है। उक्त दोषमुक्त के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील लंबित हो यह बताने में थाना राजापुर जनपद चित्रकूट असफल रहा है तथा अपील की परिसीमा अवधि व्यतीत हो चुकी है। थाना प्रभारी राजापुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित 19.06.2026 निम्नवत है।

एसटी न0 131/16 व 132/16, मु0अ0सं0– 165/2016, धारा– 304 भादवि0 व मु0अ0सं0–190/2016, धारा– 30/27 आर्म्स एक्ट, सरकार बनाम–अखिलेश कुमार, थाना राजापुर जनपद चित्रकूट की पत्रावली में मा० ए०एस०जे० प्रथम के न्यायालय द्वारा दिनांक– 26.02.2026 को दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया गया है। जिसकी विमुक्ति कमेटी में यह निर्णय लिया गया है यह मुकदमा शासकीय अपील योग्य है जिसके अनुक्रम में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह, ए०डी०जी०सी० (क्रि०) द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध दिनांक– 20.04.2026 को समय अवधि के अन्दर अपील का प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट महोदय को प्रेषित किया गया। कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट के पत्रांक सं0–92/सात–न्याय सहायक/2026, दिनांक 22 अप्रैल, 2026 के द्वारा उक्त अपील को उ0प्र0 शासन न्याय विभाग को प्रेषित किया गया है। शासन द्वारा उक्त अपील मा० उच्च न्यायालय में योजित की गयी है अथवा नहीं, इस तथ्य की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है तथा अपील नम्बर भी प्राप्त नहीं हो सका है, जिसके संबंध में श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय जनपद चित्रकूट को उचित माध्यम से पत्राचार किया गया है।

हेड मोहर्रिर थाना राजापुर चित्रकूट नवल किशोर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 23.06.2026 निम्नवत है।

एसटी न0 131/16 व 132/16, मु0अ0सं0– 165/2016, धारा– 304 भादवि0 व मु0अ0सं0–190/2016, धारा–30/27 आर्म्स एक्ट, सरकार बनाम–अखिलेश कुमार, थाना राजापुर जनपद चित्रकूट की पत्रावली में मा० ए०एस०जे० प्रथम के न्यायालय द्वारा दिनांक– 26.02.2026 को दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया गया है।

उक्त चाही गयी सूचना कि याची अखिलेश कुमार उपरोक्त के शस्त्र लाइसेन्स की कापी थाना स्थानीय पर है या नही के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तत्कालीन हे0मु० थाना राजापुर द्वारा थाना मालखाना रजिस्टर में स्पष्ट अंकित नहीं किया गया है कि याची अखिलेश कुमार उपरोक्त की शस्त्र लाइसेन्स कापी थाना स्थानीय पर जमा है। याची उपरोक्त से सम्बन्धित सम्पूर्ण माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ द्वारा शील सर्व मोहर किया गया है जो थाना मालखाना में दाखिल है उक्त माल खोलने पर ही स्पष्ट किया जा सकता है कि याची अखिलेश कुमार उपरोक्त की शस्त्र लाइसेन्स की काफी थाना स्थानीय पर है या नही है।

अतः थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के थाना प्रभारी व मोहर्रिर यह बता पाने में असमर्थ है कि शस्त्र लाइसेंस की कॉपी स्थानीय थाना में जमा है अथवा नहीं।

सत्र परीक्षण संख्या–132/2016 की पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसमें पत्रांक संख्या–3398/शस्त्र सहायक–कौशाम्बी/2016 दिनांक 23.08.2016 अंकित है। और उक्त पत्रांक प्रभारी अधिकारी शस्त्र कृते जिला मजिस्ट्रेट कौशाम्बी के अनुपालन में डी0बी0बी0एल0 गन संख्या–43920–ए/9 मय मूल नं0 10115 अनीशा गन हाउस सिराथू कौशाम्बी से लाकर थाना राजापुर चित्रकूट में दिनांक 05.09.2016 के जी0डी0 नम्बर–31, समय 18.10 बजे की गयी है के द्वारा दाखिल जिसके संबंध में उक्त पत्र पर है। रिपोर्ट थाना राजापुर चित्रकूट दिनांकित 05.09.2016 अंकित है, जो इस प्रकार है।

प्रभारी अधिकारी शस्त्र कृते जिला मजिस्ट्रेट कौशाम्बी के अनुपालन में डी0बी0बी0एल0 गन संख्या–43920–ए/9 मय मूल लाइसेंस नं0 10115 अनीशा गन हाउस सिराथू कौशाम्बी से लाकर थाना राजापुर चित्रकूट में दिनांक 05.09.2016 के जी0डी0 नम्बर–31, समय 18.10 बजे जारी की गयी है।

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि डी0बी0बी0एल0 गन संख्या–43920–ए/9 मय मूल लाइसेंस नम्बर 10105 अनीशा गन हाउस सिराथू कौशाम्बी से लेकर थाना राजापुर चित्रकूट में दिनांक 05.09.2016 को जी0डी0 नम्बर 31, समय 18.10 बजे पर दाखिल किया गया है। सत्र परीक्षण संख्या–131/2016 व 132/2016 में पारित एक ही निर्णय दिनांकित 27.01.2026 में यह स्पष्ट लिखा है कि बरामद कब्जे में लिया गया माल यदि कोई हो बाद बीतने अवधि अपील नियमानुसार निस्तारित किया जाये। चूंकि अभियोजन अपील दाखिल है अथवा नहीं इस पर स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ है और अभियोजन के प्रपत्र पत्रांक संख्या– 3398/शस्त्र सहायक–कौशाम्बी/2016 दिनांक 23.08.2016, थाना राजापुर चित्रकूट से दिनांक 05.09.2016 को जी0डी0 नम्बर 31, समय 18.10 बजे पर दाखिल किया गया है। अतः **सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम स्टेट आफ गुजरात 2003 (1) जे०आई०सी०** में प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओ के सापेक्ष दो नाली गन डी0बी0बी0एल0 गन संख्या–43920–ए/9 मय मूल लाइसेंस नम्बर 10105 तथा लाइसेंस को प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त कारणों से एवं **सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम स्टेट आफ गुजरात 2003 (1) जे०आई०सी०** में प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओ के सापेक्ष दो नाली डी0बी0बी0एल0 गन संख्या–43920–ए/9 मय मूल लाइसेंस नम्बर 10105 को प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा 1,00,000/– रूपये (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल किये जाने पर निम्न शर्तानुसार अवमुक्त किया जाता है।

प्रार्थी इस आशय की अन्डरटेकिंग दाखिल करे कि यदि दो नाली गन का अन्य कोई क्लेमेन्ट पाया जाता है तो वह उक्त धनराशि के बराबर धनराशि न्यायालय में दाखिल करेगा।

प्रार्थी इस आशय की अन्डरटेकिंग दाखिल करें कि वह उक्त दो नाली गन डी0बी0बी0एल0 गन संख्या–43920–ए/9 मय मूल लाइसेंस नम्बर 10105 में कोई परिवर्तन नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर उक्त दो नाली गन को अपने व्यय पर न्यायालय में पेश करेगा।

थानाध्यक्ष, दो नाली गन डी0बी0बी0एल0 गन संख्या–43920–ए/9 मय मूल लाइसेंस नम्बर 10105 की दोनो ओर से फोटोग्राफ्स कॉपी के साथ विस्तृत मैमो तैयार कराये तथा दो नाली गन के फोटोग्राफ तैयार कराकर उक्त दो नाली गन डी0बी0बी0एल0 गन संख्या–43920–ए/9 मय मूल लाइसेंस नम्बर 10105 यदि किसी अन्य अपराध में वांछित न हो तो नियमानुसार प्रार्थी की सुपुर्दगी में दे तथा मैमो थानाध्यक्ष से काउन्टर साईन कराकर पत्रावली पर दाखिल करें।

(राहुल मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01,चित्रकूट।